औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में ऋण वसूली की तुलनात्मक स्थिति

890. श्री नागमणि:
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अप्रैल, 1996 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में ऋण वसूली की तुलनात्मक स्थिति क्या थी;

(ख) क्या कृषि क्षेत्र की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में बैंक ऋणों की राशि में वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, सितम्बर, 1994 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बकाया अग्रिम राशि के प्रतिशत के रूप में अतिदेय निम्नलिखित हैं:

बड़े और मझौले उद्योग	15.76%
औद्योगिक सम्पदाओं सहित लघु उद्योग	24.46%
कृषि	24.95%

(ख) और (ग) ऋण के क्षेत्रीय अभियोजन संबंधी अंतरिम आंकड़ों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1980-81 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान कृषि कार्य के लिए बैंक ऋण की औसत वार्षिक वृद्धि दर 14.7 प्रतिशत थी, जबकि उसी अवधि के दौरान उद्योग (लघु, मझौले और बड़े) के लिए वार्षिक वृद्धि दर 15.9 प्रतिशत थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि किसी क्षेत्र के लिए बैंक ऋण की वृद्धि दर उस क्षेत्र विशेष के लिए उत्पादन के स्तर और साथ ही अतिरिक्त ऋण खपाने की इसकी क्षमता दोनों पर निर्भर करते हुए अलग-अलग हो सकती है।

Report Regarding Disinvestment in CPSUs

891. SHRI MD. SALIM:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report published in the Economic Times, Calcutta Edition, dated 25th June, 1996, regarding the alleged plan being prepered by the Finance Ministry about the disinvestment in blue chip CPSUs like SAIL, MTNL, Shipping Corporation of India etc.;

(b) if so, whether this report has any factual basis;

(c) whether it is in keeping with the principle of making such processes transparent by putting them before a disinvestment commission or making strong PSUs stronger to achieve the level of global majors; and

(d) if not, whether the report has been contradicted?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Government have approved the establishment of a Disinvestment Commission. Government will also keep in view transparency in future modes of disinvestment and strengthening the deserving PSUs.

Proposal for easier credit to Small Scale Sector

892. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide easier credit to small scale sector to help relieve production bottlenecks; and

(b) if so, the details of the proposal?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The reserve Bank of India (RBI) has reported that based on the recommendations of the Nayak Committee it has simplified the procedure for providing credit to small scale industrial (SSI) units. All commercial banks have been instructed by RBI to sanction working capital limits of less than Rs. one crore to SSI units on the basis of 20% of

their projected annual turnover. Banks have also been instructed to give preference to village industries, tiny industries and other small scale units in that order, while meeting the credit requirements of the SSI sector.

कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम के अधीन लाने के लिए प्रस्ताव

893. **श्री जनार्दन यादवः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सभी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम के अधीन लाने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

894. **श्री इकबाल सिंहः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम किन-किन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार रखता है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) सूचना अनुपत्र में दी गई है [देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं॰ 25]

(ख) जीवन बीमा निगम राज्य सरकारों को समाजोन्मुख क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए, बीजनात सहायता के अन्तर्गत ऋणों के रूप में सामाजिक आवासन स्कीमों के लिए जलापूर्ति और मल-निकास बोर्डों/नगरपालिकाओं को उनकी जलापूर्ति और मल नि कासी स्कीमो के लिए राज्य बिजली बोडो और राज्य स्ड्क परिवहन निगमो को निगमो को मुहैया कराता

Permission sought by Bank of America for opening New Branches

895. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Bank of America has sought permission from RBI to open new branches at various places in India;

(b) if so, the proposed plans of opening of new branches in India;

(c) whether Government have accepted the proposals;

(d) which are the other foreign banks at present operating in the country;

(e) whether the Indian banks performance is very poor in comparision to foreign banks; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Reserve Bank of India (RBI) has reported that Bank of America approached it in April, 1991 with a request to open three branches in India at Bangalore, Poona or Baroda and Hyderabad. RBI has further reported that the application has been kept in abeyance and it has yet to consider the Bank's application.

(d) As reported by Reserve Bank of India (RBI) the names of other foreign banks operating in India are given in the statement *(see* below).

(e) and (f) Owing to the geographical spread, branch network, customers profile, level of computerisation being different, performance of public sector banks and of foreign banks are not comparable.